

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत दिवेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत दिवेर

प्रकरण सं.- 53/2013 रे0वा0

निर्णय दिनांक- 01.07.2015

01. श्री गणपतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
02. श्रीमति कमला बेवा लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम

वादी

बनाम

01. श्री मोतीसिंह पिता जीतसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
02. श्री कुम्पसिंह पिता जीतसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
03. श्री रमेशसिंह पिता मानसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
04. श्री करमसिंह पिता मानसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
05. श्री विक्रम सिंह पिता मानसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
06. श्रीमति चन्द्रादेवी बेवा मानसिंह जाति रावत निवासी दिवेर तहसील भीम
07. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

तहसीलदार भीम से प्रारम्भिक डिगरी की पालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न आराजियात खातेदारान के नाम दर्ज की जाती है।


1. गणपतसिंह पिता लच्छुसिंह, कमला बेवा लच्छुसिंह रावत के खाते निम्न प्रकार है:-

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
1094 मीन	00	06	10	
कुल किता 01 रकबा 06 विस्वा				

2. मोतीसिंह, कुम्पसिंह पिता जीतसिंह, रमेशसिंह, करमसिंह, विक्रमसिंह पिता मानसिंह, चन्द्रादेवी पत्नि मानसिंह खाते निम्न प्रकार है:-

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
1094/1	00	06	10	
कुल किता 01 रकबा 06 विस्वा 10 विस्वांसी				

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दिवेर में पेश हुआ। वादीगण उपस्थित एवं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित उनके प्रति एक तरफा कार्यवाही की गई। मौके पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। तहसीलदार भीम को लिखा जाकर, मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्ध